Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झुंझुनूं में ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक 40 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *24 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय स्थित विशेष अनुसंधान इकाई द्वारा आज सोमवार को झुंझुनूं में कार्यवाही करते हुये प्रियतम ड़ांगी ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ब्लॉक चिड़ावा एवं राजीव कुल्हार कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुंझुनूं को परिवादी से 40 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि डॉ सविताबेन अम्बेड़कर अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सरकार से मिलने वाली 5 लाख रुपये की राशि के आवेदन को स्वीकृत करने की एवज में प्रियतम ड़ांगी ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ब्लॉक चिड़ावा एवं राजीव कुल्हार कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुंझुनूं द्वारा 40 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी पाली–प्रथम के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री कमल नयन** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रियतम ड़ांगी पुत्र श्री धर्मवीर ड़ांगी निवासी ग्राम ओजटू, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं हाल ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ब्लॉक चिड़ावा, जिला झुंझुनूं को परिवादी से 40 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में राजीव कुल्हार पुत्र श्री विजय सिंह कुल्हार निवासी नई तहसील के पास, किसान कॉलोनी, झुंझुनूं हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुंझुनूं को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी

राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।